

राजस्थान सरकार (174)
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 10(193)नविवि/3/2009पार्ट-II

सचिव,
जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण,
जयपुर/जोधपुर/अजमेर।

जयपुर, दिनांक :- 7 JUL 2015

मुख्य नगर नियोजक,
राजस्थान,
जयपुर।

सचिव,
नगर विकास न्यास,
समस्त।

निदेशक,
स्थानीय निकाय विभाग,
जयपुर।

विषय :- गैस गोदाम, स्टोन क्रेशर उद्योग व ईट भट्टा की स्थापना हेतु मानदण्ड।

सन्दर्भ :- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 27.05.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के साथ गैस गोदाम, स्टोन क्रेशर उद्योग व ईट भट्टा की स्थापना हेतु तकनीकी मानदण्ड निर्धारित कर पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किये गये थे। गैस गोदाम हेतु निर्धारित मानदण्ड के बिन्दु सं. 2 में उल्लेखित, "आवेदित भूमि से न्यूनतम 100 मीटर की परिधि में विद्युत लाईन/पॉवर ट्रान्समिशन लाईन/टेलीफोन लाईन तथा पेट्रोल पम्प नहीं हो" के स्थान पर, "आवेदित भूमि से न्यूनतम 100 मीटर की परिधि में पेट्रोल पम्प स्थित नहीं हो तथा गैस गोदाम हेतु प्रस्तावित भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन/पॉवर ट्रान्समिशन लाईन/टेलीफोन लाईन नहीं गुजर रही हो" पढ़ा जावे।

भवदीय,

(सी. एस. मूथा)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम